12.01.2026

पत्रावली पेश हुई। वादी संख्या 1 व 2 एवं 04 मय वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 05 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। वादीगण मय अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते वादपत्र सहित राजीनामा विड्रॉल करने बाबत पेश किया गया, जो बाद तरदीद शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में परिवादार के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं सामाजिक लोगों की समझाइश से राजीनामा हो गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का कभी भी कब्जा - काश्त व स्वामित्व नहीं रहा व न ही उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की रही है अब वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद शेष नहीं रहा है मुताबिक वादीगण उक्त वाद-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः वादीगण का वाद पत्र सहित विड्रॉल खारिज किया जावें। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति की गई। और निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई हक - हकूक नहीं है।

वादी सं.3 की ओर से [illegible] जरिये अधिवक्ता विड्रॉल किया जावें।

अधि. [illegible]

ADV 12/01/2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

08/2022

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने उभय-पक्ष अभिभाषकों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा पत्र एवं पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजीनामा हो गया है तथा वादीगण उपस्थित होकर स्वयं ने स्वीकार किया है, कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा व हमारे हकपूर्वाधिकारी का कभी भी कब्जा-काश्त व रहवास नहीं रहा है तथा वादग्रस्त भूमि में हमारा कोई हकूक नहीं है। वादी संख्या 03 की ओर से वादपत्र सहित आवेदन विड्रोल किया गया है। उक्त वादी की उपस्थिति होना कोई नितांत आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त वादी के दो भाईयों एवं माता स्वयं ने उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि पर कोई भी हकूक नहीं होना स्वीकार किया है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजीनामा होना स्वीकार किया है इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यों को तस्दीक कर शपथ-पत्र वादी रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो वादपत्र विड्रोल सहित राजीनामा होना स्वीकार किया है इस प्रकार लोक अदालत की भावना से हुआ राजीनामा सदैव विवादों की श्रृंखला को रोकता है, अतः ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 उपनियम 1 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र स्वीकार किया सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

68/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा उक्त वर्णित नियम 1 के उपनियम 4 के खण्ड (क) में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधान के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण नया वाद संस्थित करने से प्रवारित (Precluded) होंगे। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नकल से फारिग होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा